//कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.)//

::: कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2020 :::

मैं गौरव प्रज्ञानन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ जिला झाबुआ (म0प्र0) माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 14 एवं 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित आदेशों को अधिष्ठित (सुपरसीड) करते हुए इस न्यायिक जिला झाबुआ में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं निश्चित करता हूँ, जो कि दिनांक **23.01.2020** से प्रभावशील होगा।

अ.क.	न्यायालय का नाम	कार्य क्षेत्र	कार्य एवं प्रकरणों का विवरण
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	गौरव प्रज्ञानन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ	**1.** आरक्षी केन्द्र झाबुआ **2.** आरक्षी केन्द्र कालीदेवी **3.** यातायात थाना झाबुआ **4.** आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी मेघनगर **5.** आबकारी वृत्त अ एवं ब	**1.** आरक्षी केन्द्र झाबुआ, कालीदेवी, यातायात पुलिस झाबुआ, आर0 टी0 ओ0 जिला झाबुआ एवं आबकारी वृत्त अ एवं ब, आरक्षी केंद्र जी0 आर0 पी0 मेघनगर, नारकोटिक्स विभाग झाबुआ, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग, नाप तौल विभाग, कारखाना अधिनियम से संबंधित समस्त मामले, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त मामले, नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं ऐसे अधिनियमों या नियमों से सम्बंधित मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है, लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा या मुख्य/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य हो उनसे सम्बंधित प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, विविध प्रकरण एवं खात्मा आवेदन पत्र। **2.** उक्त समस्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के

			तहत परिवाद पत्र को छोडकर। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–169 एवं धारा–157 के अंतर्गत प्रतिवेदन पत्र, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत अल्पमात्रा के पदार्थ वाले तहसील थांदला एवं पेटलावद के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरण को छोडकर शेष सभी आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रों से उत्पन्न समस्त प्रकरण। **3.** वन परिक्षेत्र झाबुआ के वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र एवं आरक्षी केंद्र झाबुआ, राणापुर, कालीदेवी एवं कल्याणपुरा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खनिज विभाग से संबंधित समस्त अभियोग पत्र। **4.** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–324, 325 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा भेजे गये समस्त प्रकरण। **5.** संपूर्ण जिला झाबुआ के अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा–34 (2) एवं धारा–49 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। **6.** जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों की खारजी के प्रतिवेदन का निराकरण। **7.** क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियन डेथ (मृत्यु जांच) की सभी जांचें। **8.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित/सौंपे जाने वाले समस्त प्रकरण।

2.	श्री राजकुमार चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	**1.** आरक्षी केन्द्र राणापुर	**1.** आरक्षी केन्द्र राणापुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, विविध प्रकरण, खात्मा आवेदन पत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–169 एवं धारा –157 के अधीन प्रतिवेदन। उक्त आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत नाप तौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र तथा आवेदन पत्र। **2.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित/सौंपे जाने वाले समस्त प्रकरण एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम–जिला झाबुआ से सम्बंधित प्रकरण एवं विविध आवेदन /प्रकरण। **3.** आरक्षी केन्द्र झाबुआ, कल्याणपुरा, कालीदेवी, राणापुर, के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरणों को छोडकर घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के परिवाद पत्र एवं उक्त आरक्षी केंद्रो के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा– 312, 313, 314, 315, 354, 354 (क) (ख) (ग) (घ), 354 ए, म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366 बी, 375, 376, 376 ए, 376 डी, 493, 498, 498 (क) एवं धारा–509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सतिप्रथा अधिनियम 1957 एवं अन्य समस्त अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों

			के अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र एवं विविध आवेदन पत्र/ प्रकरण तथा खात्मा प्रतिवेदन एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–169 एवं धारा–157 के अधीन प्रतिवेदन पत्र। **4.** आरक्षी केन्द्र झाबुआ, कल्याणपुरा, कालीदेवी, राणापुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। **5.** आरक्षी केन्द्र राणापुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा–34 (2) एवं धारा–49 के अपराध को छोड़कर शेष अपराध से सम्बंधित प्रकरण/विविध प्रकरण। **6.** क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियन डेथ (मृत्यु जांच) की सभी जांचें। **7.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित/सौंपे जाने वाले समस्त प्रकरण।
3.	श्री राजकुमार चौहान न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय झाबुआ जिला–झाबुआ		**1.** (मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय) अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र कालीदेवी, कल्याणपुरा, झाबुआ एंव राणापुर से उत्पन्न ग्राम न्यायालय अधिनियम से संबंधित आपराधिक कार्यवाहियां, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग–1, भाग–2, भाग–3 में दर्शित है।
4.	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**1.** आरक्षी केन्द्र कल्याणपुरा **2.** आरक्षी	**1.** आरक्षी केन्द्र कल्याणपुरा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, खात्मा आवेदन पत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–169 एवं धारा–157 के

		केन्द्र अ0जा0क0 झाबुआ	अधीन प्रतिवेदन, नाप तौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र तथा आवेदन पत्र एवं खात्मा प्रतिवेदन व विविध आवेदन/प्रकरण। **2.** आरक्षी केन्द्र अ0 जा0 क0 झाबुआ के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रतिवेदन तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–169 एवं धारा–157 के अधीन प्रतिवेदन पत्र। **3.** आरक्षी केन्द्र कल्याणपुरा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा–34 (2) एवं धारा–49 के अपराध को छोड़कर शेष अपराध से सम्बंधित प्रकरण/विविध प्रकरण। **4.** आरक्षी केन्द्र झाबुआ, राणापुर, कालीदेवी एवं कल्याणपुरा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र (प्रायवेट कम्पलेंट)। **5.** आरक्षी केन्द्र झाबुआ, राणापुर, कल्याणपुरा एवं कालीदेवी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत परिवाद पत्र। **6.** तहसील झाबुआ के समस्त रिक्त न्यायालयों के स्थाई वारण्ट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर आने वाले प्रकरण एवं विविध आवेदन/प्रकरण। **7.** क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियन डेथ (मृत्यु जांच) की सभी जांचें। **8.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित/सौंपे जाने वाले समस्त प्रकरण।

5.	श्री हर्ष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (ट्रेनी जज) झाबुआ		**1.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित /सौंपे किये जाने वाले समस्त प्रकरण।
6.	सुश्री प्रतिभा वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (ट्रेनी जज) झाबुआ		**1.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित /सौंपे किये जाने वाले समस्त प्रकरण।
7.	श्री जय पाटीदार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय थांदला जिला–झाबुआ		**1.** (मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय) अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र थांदला, मेघनगर एवं काकनवानी से उत्पन्न ग्राम न्यायालय अधिनियम से संबंधित आपराधिक कार्यवाहिंया, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग–1, भाग–2, भाग–3 में दर्शित है।
8.	श्री जय पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	आरक्षी केन्द्र थांदला	**1 .** आरक्षी केन्द्र थांदला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, विविध प्रकरण परिवाद एवं आवेदन पत्र। खात्मा आवेदन पत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–169 एवं धारा–157 के अधीन प्रतिवेदन और आवेदन। **2.** आरक्षी केन्द्र थांदला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वालें, नाप तौल विभाग, तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग,वन परिक्षेत्र थांदला, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र तथा आवेदन पत्र।

			3. आरक्षी केन्द्र थांदला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा–34 (2) एवं धारा–49 के अपराध को छोड़कर शेष अपराध से सम्बंधित प्रकरण/विविध प्रकरण। **4.** क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियन डेथ (मृत्यु जांच) की सभी जांचें। **5.** तहसील थांदला के रिक्त न्यायालयों के स्थाई वारण्ट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर आने वाले प्रकरण एवं विविध आवेदन। **6.** आरक्षी केन्द्र थांदला, मेघनगर एवं काकनवानी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। **7.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित/सौंपे जाने वाले समस्त प्रकरण।
9.	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला, जिला झाबुआ म.प्र.	आरक्षी केन्द्र मेघनगर	**1.** आरक्षी केन्द्र मेघनगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, विविध प्रकरण परिवाद एवं आवेदन पत्र। खात्मा आवेदन पत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–169 एवं धारा–157 के अधीन प्रतिवेदन और आवेदन। **2.** आरक्षी केन्द्र मेघनगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वालें, नाप तौल विभाग, तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग,वन परिक्षेत्र थांदला, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र तथा आवेदन पत्र। **3.** आरक्षी केन्द्र थांदला, काकनवानी एवं मेघनगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के परिवाद पत्र एवं उक्त

			आरक्षी केंद्रो के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा– 312, 313, 314, 315, 354, 354 (क) (ख) (ग) (घ), 354 ए, म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366 बी, 375, 376, 376 ए, 376 डी, 493, 498, 498 (क) एवं धारा–509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सतिप्रथा अधिनियम 1957 एवं अन्य समस्त अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों के अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र, ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरणो को छोडकर। **4.** आरक्षी केन्द्र थांदला, काकनवानी एवं मेघनगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। **5.** आरक्षी केन्द्र मेघनगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा–34 (2) एवं धारा–49 के अपराध को छोड़कर शेष अपराध से सम्बंधित प्रकरण/विविध प्रकरण। **6.** क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियन डेथ (मृत्यु जांच) की सभी जांचें। **7.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित/सौंपे जाने वाले समस्त प्रकरण।
10	सुश्री पूजा गोले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला,	आरक्षी केन्द्र काकनवानी	**1.** आरक्षी केन्द्र काकनवानी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, विविध प्रकरण परिवाद एवं आवेदन

	जिला–झाबुआ (म.प्र.)		पत्र। खात्मा आवेदन पत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–169 एवं धारा–157 के अधीन प्रतिवेदन और आवेदन। **2.** आरक्षी केन्द्र काकनवानी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वालें, नाप तौल विभाग, तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग,वन परिक्षेत्र थांदला, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र तथा आवेदन पत्र। **3.** आरक्षी केन्द्र काकनवानी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा–34 (2) एवं धारा–49 के अपराध को छोड़कर शेष अपराध से सम्बंधित प्रकरण/विविध प्रकरण। **4.** क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियन डेथ (मृत्यु जांच) की सभी जांचें। **5.** तहसील थांदला के रिक्त न्यायालयों के स्थाई वारण्ट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर आने वाले प्रकरण एवं विविध आवेदन। **6.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित/सौंपे जाने वाले समस्त प्रकरण।
11	श्री संजीव कटारे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद, जिला–झाबुआ (म.प्र.)	आरक्षी केन्द्र पेटलावद	**1.** आरक्षी केन्द्र पेटलावद के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, खात्मा आवेदन पत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–169 एवं धारा–157 के तहत प्रतिवेदन पत्र। **2.** उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले नापतौल विभाग खनिज विभाग, श्रम विभाग, वन परिक्षेत्र पेटलावद, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण

			अधिनियम एवं अन्य वन विधियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र तथा समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **3.** आरक्षी केन्द्र पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के परिवाद पत्र एवं उक्त आरक्षी केंद्रो के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा– 312, 313, 314, 315, 354, 354 (क) (ख) (ग) (घ), 354 ए, म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366 बी, 375, 376, 376 ए, 376 डी, 493, 498, 498 (क) एवं धारा–509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सतिप्रथा अधिनियम 1957 एवं अन्य समस्त अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों के अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र, ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरणो को छोडकर। **4.** आरक्षी केन्द्र पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। **5.** आरक्षी केन्द्र पेटलावद के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा–34 (2) एवं धारा–49 के अपराध को छोड़कर शेष अपराध से सम्बंधित प्रकरण/विविध प्रकरण। **6.** आरक्षी केन्द्र पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा–138 परकाम्य लिखत

			अधिनियम के तहत प्रस्तुत परिवाद पत्र। **7.** क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियन डेथ (मृत्यु जांच) की सभी जांचें। **8.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित/सौंपे किये जाने वाले समस्त प्रकरण।
12	श्री सूर्यपाल सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद, जिला–झाबुआ (म.प्र.)	आरक्षी केन्द्र रायपुरिया	**1.** आरक्षी केन्द्र रायपुरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, विविध प्रकरण, परिवाद पत्र, खात्मा आवेदन पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा –169 एवं धारा–157 के तहत प्रतिवेदन पत्र। **2.** आरक्षी केन्द्र रायपुरिया से उत्पन्न होने वाले नापतौल विभाग खनिज विभाग, श्रम विभाग, वन परिक्षेत्र पेटलावद, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों द्वारा प्रस्तुत समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **3.** आरक्षी केन्द्र रायपुरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा–34 (2) एवं धारा–49 के अपराध को छोड़कर शेष अपराध से सम्बंधित प्रकरण/विविध प्रकरण। **4.** क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियन डेथ (मृत्यु जांच) की सभी जांचें। **5.** तहसील पेटलावद के रिक्त न्यायालयों के स्थाई वारण्ट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर आने वाले प्रकरण। **6.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा समय–समय पर अंतरित/सौंपे किये जाने वाले समस्त प्रकरण।

<u>सामान्य आदेश</u> :–

01. कार्य विभाजन के की गई व्यवस्था के बावजूद जिला झाबुआ के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी थाना या वृत्त का कोई प्रकरण सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, कार्यविभाजन पत्रक में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

02. माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के पूर्व **अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगें** एवं प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।

03. समस्त रिक्त न्यायालय के महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय की समस्त कार्यवाही झाबुआ जिले के साथ–साथ अन्य जिले से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्पातारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट दिये गये अपने–अपने आरक्षी केन्द्र के अनुसार कार्य सम्पादित करेंगे।

04. समस्त रिक्त न्यायालय के धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय की समस्त कार्यवाही झाबुआ जिले के साथ–साथ अन्य जिले से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट दिये गये अपने–अपने आरक्षी केन्द्र के अनुसार कार्य सम्पादित करेंगे।

05. इसके अतिरिक्त रिक्त न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ़्तारी वारंट रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का निष्पादन तथा रिक्त न्यायालय के अन्य समस्त कार्यवाही, परिवाद पत्र से उद्भूत दाण्डिक मामलों में संबंधित रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई वारंट अपील न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश निर्णय का निष्पादन तथा परिवाद पत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों के संबंध में रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट दिये गये अपने–अपने आरक्षी केन्द्र का कार्य सम्पादित करेंगे।

नोटः– जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं और वे वर्तमान में जिला न्यायिक स्थापना झाबुआ में पदस्थ भी है तब जारी किये गये स्थाई वारंट की अन्य समस्त कार्यवाही पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही सम्पादित की जावेगी। यदि स्थाई वारंट से संबंधित कोई प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में लंबित होगा तो लंबित प्रकरण के साथ वारंट संलग्न कर विचारण करने हेतु सीधे संबंधित न्यायालय को वारंट आदेश पत्रिका भेज सकेंगे। पश्चात् जहां मामला लंबित होगा वहीं मजिस्ट्रेट आगे कार्यवाही करेंगे।

06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र झाबुआ, जी.आर. पी. मेघनगर, आबकारी वृत्त अ एवं ब, यातायात थाना झाबुआ से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण की समस्त कार्यवाही श्री राजेन्द्र बर्मन जे.एम.एफ. सी. द्वारा सम्पादित की जावेगी।

07. एक से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट पदस्थ होने पर उस स्थान पर आपराधिक प्रकरणों का केन्द्रीय पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संधारित पंजी में किया जावेगा।

08. रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान दोपहर 3 से 5 बजे तक उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।

09. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने हेतु तत्पर हो, ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।

10. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ/थांदला/पेटलावद जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–260 के अधीन शक्तियॉ प्राप्त है वे अपने–अपने क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों में माह में एक बार चलित न्यायालय लगा सकेंगे जिसकी पूर्व सूचना माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ को दी जावेगी। चलित न्यायालय माह में एक बार से अधिक लगाना हो तो इसकी पूर्व अनुमति माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ से ली जावे।

11. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

12. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के आवेदन पत्र माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

13. लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले एवं रेफर किये जाने वाले दांडिक प्रकरण या अन्य समझौता योग्य प्रकरण धारा–410 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निराकरण करने वाले न्यायालय में अंतरित माने जावेंगे।

14. इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

15. इस आदेश निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।

16. इस कार्य विभाजन आदेश का वर्तमान में समस्त मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तहसील झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य है, वे सभी प्रकरण ग्राम न्यायालयों के समक्ष ही प्रस्तुत किये जावेंगे।

18. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–164 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेखन संलग्न **<u>अनुसूची क्रमांक 01</u>** अनुसार किया जावेगा।

19. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर/पद रिक्त होने पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार **<u>अनुसूची क्रमांक 02</u>** के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

22/01/20

(गौरव प्रज्ञानन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झाबुआ (म.प्र.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झाबुआ (म.प्र.)

स्थान– झाबुआ
दिनांक–
संलग्न– अनुसूची क्रमांक 01 एवं 02

22/01/2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म.प्र.)

:: कार्यालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.)::
//अनुसूची क्रमांक 01//

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है : —

1— महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित धारा 164 द.प्र.सं. के कथन हेतु निम्न मजिस्ट्रेटों को आरक्षी केन्द्रों का आबंटन निम्नानुसार किया जाता हैः—

क्रमांक	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	**अ.** झाबुआ, राणापुर, कल्याणपुरा, कालीदेवी **ब.** यातायात थाना **स.** जी.आर.पी मेघनगर **द**. आबकारी वृत्त अ एवं ब
2.	सुश्री पूजा गोले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	थांदला, मेघनगर, काकनवानी
3.	श्री सूर्यपालसिंह राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	पेटलावद, रायपुरिया

नोटः— धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर उनके अत्यावश्यक प्रभार वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कथन अंकित किये जाऐंगे। यदि प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवृति प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

2— दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के कथन (महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को छोड़कर) हेतु आरक्षी केन्द्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता हैः—

क्रमांक	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री राजकुमार चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	झाबुआ, कल्याणपुरा, अ.जा.क.
2	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	राणापुर, कालीदेवी
3	श्री जय पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	मेघनगर, काकनवानी

4	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	थांदला
5	श्री संजीव कटारे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	रायपुरिया
6	श्री सूर्यपालसिंह राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	पेटलावद

//अनुसूची क्रमांक 02//

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में दांडिक प्रकरणों के अत्यावश्यक कार्य की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :–

अक्र.	क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी
1	गौरव प्रज्ञानन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ	श्री राजकुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ
2	श्री राजकुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	गौरव प्रज्ञानन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ
3	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री राजकुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	गौरव प्रज्ञानन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ
4	श्री हर्ष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (ट्रेनी जज) झाबुआ	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री राजकुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ
5	सुश्री प्रतिभा वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (ट्रेनी जज) झाबुआ	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री राजकुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ
6	श्री जय पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	सुश्री पूजा गोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला

7	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	सुश्री पूजा गोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	श्री जय पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला
8	सुश्री पूजा गोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	श्री जय पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला
9	श्री संजीव कटारे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	श्री सूर्यपाल सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	सुश्री पूजा गोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला
10	श्री सूर्यपाल सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	श्री संजीव कटारे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	सुश्री पूजा गोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला

नोट :– उपरोक्त उल्लेखित तीनों न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय/तहसील थांदला अथवा पेटलावद पर उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक दांडिक कार्य संपादित करेंगे।

अनुमोदित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म. प्र.)
2-01-2020

22/01/20

(गौरव प्रज्ञानन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झाबुआ, (म.प्र.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झाबुआ (म.प्र.)

(28)

// कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–झाबुआ, म0प्र0 //

पृष्ठांकन क्र.   /2020   झाबुआ, दिनांक–22.01.2020

प्रतिलिपि :–

01. निज सचिव, माननीय पोर्ट फोलियो जज साहब झाबुआ की ओर माननीय न्यायाधिपति श्री विरेन्द्र सिंह साहब के समक्ष रखे जाने हेतु।

02– माननीय प्रिंसीपल रजिस्ट्रार महोदय, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0 की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

03– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला–झाबुआ की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

04– माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय कुटुम्ब न्यायालय, जिला–झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05– माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06– माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07– माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश महोदय झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

08– माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पेटलावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

09– माननीय सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10– श्री————————————————————न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर पालनार्थ प्रेषित।

11– जिला दंडाधिकारी झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

12– पुलिस अधीक्षक जिला–झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

13– अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन दंडाधिकारी झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14– जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15– सहायक लोक जिला अभियोजन अधिकारी थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

16– अध्यक्ष अभिभाषक संघ झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17– स्टेनोग्राफर /प्रस्तुतकार/सांख्यिकी लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(गौरव प्रज्ञानन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–झाबुआ, (म.प्र.)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झाबुआ (म.प्र.)